भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2899**
**10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ**

**विषय: कर्नाटक में पीएमएफबीवाई का निष्पादन**
**2899. श्री बसवराज बोम्मईः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला-वार कितने किसान शामिल किए गए हैं;
(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल कितना प्रीमियम एकत्र किया गया;
(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में किसानों को प्राप्त, स्वीकृत और संवितरित कुल बीमा दावों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को कर्नाटक में पीएमएफबीवाई के अंतर्गत फसल बीमा दावों के निपटान में देरी या गैर-निपटान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और राज्य में योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)**

(क) से (ग): कर्नाटक में वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कवर किए गए किसान आवेदनों की संख्या, एकत्रित प्रीमियम की कुल राशि, भुगतान किए गए दावों और दावों से लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या का जिलावार संचयी विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर बीमा कंपनियों द्वारा कर दिया जाता है। कर्नाटक सरकार अपने स्वयं के "Samrakshne' " पोर्टल के माध्यम से इस योजना का संचालन करती है।

तथापि, शिकायत निवारण तंत्र को और सुगम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है।

जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2025 तक, KRPH पर PMFBY के तहत कर्नाटक में दावों से संबंधित कुल 89 शिकायतें/वाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 88 (99%) का किसानों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान कर दिया गया है।

(ड.): सरकार ने PMFBY के कार्यान्वयन को मजबूत/सुधारने, पारदर्शिता लाने और दावों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं :

- दावों के निपटान में देरी होने पर बीमा कंपनियों पर 2% जुर्मानों का प्रावधान।
- केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम सब्सिडी को राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से के अनुसार आनुपातिक दावे मिल सकें।
- राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के हिस्से को जारी करने में देरी होने पर 12% जुर्माना भी लगाया जाएगा।
- वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, खरीफ 2025 के मौसम से संबंधित राज्य सरकारों के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम जमा करने हेतु ESCROW खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।
- योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को **CCE-Agri App** के माध्यम से एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- रबी 2024-25 से ट्रांच बेस्ड दावा निपटान शुरू किया गया है।
- उपज आकलन के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान में सहायता के लिए रिमोट सेंसिंग आधारित उपज आकलन की ओर क्रमिक रूप से आगे बढ़ने के लिए YES-TECH (प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली) का उपयोग किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना तक स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने के लिए WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम) का उपयोग किया जा रहा है।

विभाग सभी स्टेकहोल्डर्स के साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, आमने-सामने की बैठकों के साथ-साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है, जिसमें दावों का समय पर निपटान भी शामिल है।

**अनुबंध**

**PMFBY एवं RWBCIS: कर्नाटक राज्य का ज़िलेवार कुल डेटा वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक (31.12.2025 तक)**

| जिले का नाम | नामांकित आवेदन | प्रीमियम में किसान का हिस्सा | सकल प्रीमियम | भुगतान किए गए दावे | लाभान्वित आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| | (संख्या में) | (रुपये करोड़ में) | | | (संख्या में) |
| बागलकोट | 141,999 | 31.69 | 199.15 | 311.14 | 79,785 |
| बल्लारी | 39,987 | 5.87 | 21.95 | 29.33 | 14,398 |
| बेलगावी | 251,305 | 39.74 | 236.52 | 357.38 | 123,811 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | 39,063 | 2.44 | 18.49 | 8.84 | 14,609 |
| बेंगलुरु शहरी | 2,710 | 0.16 | 1.34 | 0.74 | 1,060 |
| बीदर | 836,880 | 41.53 | 445.29 | 119.85 | 353,947 |
| चामराजनगर | 45,886 | 1.86 | 12.46 | 9.79 | 15,907 |
| चिक्काबल्लापुर | 172,710 | 12.30 | 106.70 | 142.70 | 131,875 |
| चिक्कामगलुरु | 178,560 | 40.60 | 250.65 | 275.48 | 135,896 |
| चित्रदुर्ग | 396,050 | 52.46 | 394.27 | 420.32 | 164,481 |
| दक्षिणकन्नड़ | 712,475 | 96.44 | 827.56 | 855.77 | 647,212 |
| दावणगेरे | 216,685 | 32.42 | 190.54 | 329.86 | 163,222 |
| धारवाड़ | 545,523 | 71.80 | 501.60 | 365.80 | 317,871 |
| गडग | 735,226 | 104.85 | 680.36 | 864.86 | 535,818 |
| हसन | 427,490 | 21.92 | 170.94 | 135.38 | 193,331 |
| हावेरी | 1,144,573 | 110.80 | 860.37 | 1,071.12 | 956,271 |
| कलबुर्गी | 582,729 | 62.18 | 395.72 | 658.35 | 730,779 |
| कोडागु | 10,580 | 1.92 | 9.93 | 6.54 | 3,893 |
| कोलार | 72,423 | 5.78 | 48.28 | 37.90 | 42,865 |
| कोप्पल | 360,354 | 40.43 | 306.98 | 224.70 | 186,650 |
| मंड्या | 282,153 | 5.44 | 42.70 | 63.32 | 171,073 |
| मैसूर | 26,528 | 0.98 | 7.71 | 4.61 | 10,088 |
| रायचूर | 210,639 | 33.68 | 221.37 | 93.44 | 44,007 |
| रामनगर | 54,481 | 6.80 | 47.59 | 68.82 | 39,916 |
| शिवमोग्गा | 335,197 | 74.31 | 373.14 | 458.88 | 304,384 |
| तुमकुरु | 449,383 | 38.38 | 265.01 | 184.90 | 217,204 |
| उडुपी | 48,243 | 6.81 | 43.63 | 81.08 | 41,972 |
| उत्तरकन्नड़ | 434,381 | 46.34 | 216.38 | 216.51 | 221,735 |
| विजयनगर | 186,172 | 19.34 | 106.67 | 225.54 | 142,632 |
| विजयपुरा | 456,750 | 126.29 | 978.22 | 919.70 | 240,457 |
| यादगिरी | 38,242 | 6.32 | 36.45 | 22.27 | 21,239 |
| **कुल** | **9,435,377** | **1,141.86** | **8,017.98** | **8,564.92** | **6,268,388** |

******